



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09072024-255294
CG-MH-E-09072024-255294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2530]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

No. 2530]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 जुलाई, 2024

का.आ. 2665(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 फरवरी 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 806 (E) तारीख 22 फरवरी 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "बोरवहिर (धुले)- नरडाणा नई रेलवे लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन शिरपुर उपविभागिय अधिकारी दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक उत्तर महाराष्ट्र" एवं "दैनिक खान्देश मैदान" में तारीख 09-11-2023 को प्रकाशित किया गया था।

और, आक्षेप प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया और आक्षेप का निदान किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के अंतर्गत 4 गाँव का विशेष रेल परियोजना “बोरवहिर (धुले) - नरडाणा नई रेलवे लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	भूधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	जमिनीचा प्रकार	संपादन क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)		
							ला. ला.	पो. ख.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/2023	कलमाडी	शिंदखेडा	बाजीराव नामदेव पाटील	58	जिरायत	0.027	0.00	0.027
						कुल	0.027	0.00	0.027
2	25/2023	वाघाडी खु.	शिंदखेडा	भिका शंकर पवार	192	जिरायत	0.04	0.00	0.04
						कुल	0.04	0.00	0.04
3	26/2023	वाघाडी बु.	शिंदखेडा	प्रमिलाबाई रविंद्र पाटील	354	जिरायत	0.104	0.00	0.104
						कुल	0.104	0.00	0.104
4	27/2023	मेलाने	शिंदखेडा	शंकर घनशाम शेट, हिरामण वेडू पाटील, गोविंदा रुपला धोबी, शेवंताबाई भ्र. शामराव पाटील, तानु दौलम पाटील, आधार शामराव वाघ, सुनंदा कैलास धोबी, कल्पना तुषार धोबी, लिलाबाई शामराव वाघ.	48/1	जिरायत	0.61	0.20	0.81
						कुल	0.61	0.20	0.81
						कुल योग	0.781	0.20	0.981

[फा. सं. G197/2024/GOM/Dhule-Nardana/4 Village/July/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)
NOTIFICATION

Mumbai, the 5th July, 2024

S.O. 2665(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, **S.O 806 (E) dated the 22nd February 2022** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 22nd February 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Borvihar (Dhule) – Nardana New Line** in the district of **Dhule** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Shirpur SDO **daily Marathi newspapers namely “Dainik Uttar Maharashtra” & “Dainik Khandesh Maidan”**, Dated 09-11-2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received and sorted the same and have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project **Dhule District in connection with Dhule (Borvihar)-Nardana New Railway BG line** for 4 villages in the District Dhule in the state of Maharashtra.

S. N.	Land Acquisition Case No.	Name of Village	Taluka	Land Owners Name	Survey No./ Gutt No.	Land Type	Acquisition Area (H.R/Sq.M)		
							La.La.	Pot. Kharaba	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/2023	Kalmadi	Shindkheda	Bajirao Namdeo Patil	58	Jirayat	0.027	0.00	0.027
						Total	0.027	0.00	0.027
2	25/2023	Vaghadi Khurd	Shindkheda	Bhika Shankar Pawar	192	Jirayat	0.04	0.00	0.04
						Total	0.04	0.00	0.04
3	26/2023	Vaghadi Budruk	Shindkheda	Pramila Ravindra Patil	354	Jirayat	0.104	0.00	0.104
						Total	0.104	0.00	0.104
4	27/2023	Melane	Shindkheda	Shankar Ghanshyam Seth, Hiraman Vedu Patil, Govinda Rupla Dhobi, Shevanta Shyamrao Patil, Taanu Daulam Patil, Aadhar Shamrao Wagh, Sunanda Kailash Dhobi, Kalpana Tushar Dhobi, Lilabai Shamrao Wagh	48/1	Jirayat	0.61	0.20	0.81
						Total	0.61	0.20	0.81
						Grand Total	0.781	0.20	0.981

[F. No. G197/2024/GOM/Dhule–Nardana/4 Village/July/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)